कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 349/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 26.09.2025

थाना सिधारी क्षेत्रान्तर्गत 07 वर्षीय बच्चे को अपहरण कर हत्या करने के अभियोग में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में, पूर्व में 02 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में हो चुके है गिरफ्तार।

दिनांक- 24.09.2025 की रात्रि में वादी साहेबे आलम पुत्र सरफराज अहमद निवासी रामलीला मैदान थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर सूचना दी गयी कि वादी का 07 वर्षीय लड़का शाम समय लगभग 05.00 बजे से लापता है, जिसकी काफी खोजबीन की गयी लेकिन कोई पता नहीं चल पा रहा है, प्रकरण को पुलिस द्वारा संज्ञान में लेकर तत्काल थाना सिधारी पर मु0अ0सं0 437/25 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया और लड़के की तलाश की जा रही थी।

दिनांक-25.09.2025 की सुबह परिजनों द्वारा फिरौती माँगने की सूचना दी गयी, कुछ देर बाद डेड बॉडी पड़ोस के घर पर मिलने की सूचना प्राप्त हुई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी हाउस आजमगढ़ भेजवाया गया।

घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा घटना स्थल से साक्ष्य संकलन, तकनीकी जानकारी के माध्यम से अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे। दोपहर में परिजनों ने दो अभियुक्तों **शैलेन्द्र कुमार निगम उर्फ मन्टू पुत्र राजू निगम व राजा निगम पुत्र राजू निगम निवासी सिधारी थाना सिधारी आजमगढ़ को नामजद करते हुए बताया कि हार्डवेयर की दुकान की पुरानी रंजिश, पुराने विवाद व व्यवसायिक रंजिश की वजह से दोनो लोगो ने अपने परिवार के साथ मिलकर हत्या किये जाने बात बताई।**

दिनांक 25.09.2025 को प्रभारी निरीक्षक सिधारी व प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना **सिधारी क्षेत्रान्तर्गत इटौरा से आगे डेन्टल कालेज के बगल से जाने वाले सड़के मार्ग जो खेमऊपुर** पुलिस मुठभेड़ में मुकदमा उपरोक्त से संबंधित 02 अभियुक्त 1.**शैलेन्द्र कुमार निगम उर्फ मन्टू पुत्र राजू निगम निवासी सिधारी थाना सिधारी आजमगढ़** 2.**राजा निगम पुत्र राजू निगम गिरफ्तार किया गया।**

गिरफ्तारी/घटना का अनावरण-

आज दिनांक 26.09.2025 को उ0नि0 मो0 जावेद सिद्दीकी मय हमराह द्वारा बैठौली तिराहे से अभियुक्त/अभियुक्ता 1. राजू प्रसाद निगम पुत्र स्व0 शिवनाथ, 2. उर्मिला देवी पत्नी राजू प्रसाद निगम, 3. रिंकी निगम पुत्री राजू प्रसाद निगम निवासी रामलीला मैदान सिधारी थाना सिधारी आजमगढ़ व एक किशोरी अपचारी को समय 16.00 बजे पकड़ा गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त/बाल अपचारी-

1. राजू प्रसाद निगम पुत्र स्व0 शिवनाथ,
2. उर्मिला देवी पत्नी राजू प्रसाद निगम,
3. रिंकी निगम पुत्री राजू प्रसाद निगम निवासी रामलीला मैदान सिधारी थाना सिधारी आजमगढ़
4. 01 बाल अपचारी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 मो0 जावेद सिद्दीकी थाना सिधारी आजमगढ़
2. का0 कुलदीप सरोज थाना सिधारी आजमगढ़
3. म0 का0 दीप्ती सिंह थाना सिधारी आजमगढ़

4. म0 का0 आरती शुक्ला थाना सिधारी आजमगढ़

5.

उत्तर प्रदेश पुलिस